संख्या- 46 /2026/ 278 /आठ-1-26-1754851

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026**

विषय:- अयोध्या शहर के साकेतपुरी आवासीय योजना-2 में स्थित विभिन्न सामुदायिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य संबंधी परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-97/2024/1192/001-1192/2024 दिनांक 16.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या शहर के साकेतपुरी आवासीय योजना-2 में स्थित विभिन्न सामुदायिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य संबंधी परियोजना हेतु धनराशि रू0 368.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 184.05 लाख अवमुक्त की गयी।

2- इस सम्बंध में उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के पत्र संख्या-57/अयो0वि0प्रा0-अभि0/2024-25 दिनांक 28.02.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या शहर के साकेतपुरी आवासीय योजना-2 में स्थित विभिन्न सामुदायिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य संबंधी परियोजना की निविदा के अनुसार आंकलित अन्तिम लागत धनराशि रू0 288.792 लाख के सापेक्ष अन्तिम किश्त के रूप में धनराशि रू0 104.742 लाख (रूपये एक करोड़ चार लाख चौवहत्तर हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किए जाने से पूर्व परियोजना में निहित भूमि के सम्बंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा जिलाधिकारी, अयोध्या से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि परियोजना की निहित भूमि सरकारी है एवं निर्विवादित है।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि में प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना अंतर्गत सामग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(9) प्रायोजन्तर्गत अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या कार्यदायी संस्था होगी। कार्यदायी संस्था को सेन्टेज देय नहीं होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाएगी।

(10) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) अयोध्या विकास प्राधिकरण, व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(12) अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप अयोध्या विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

(14) भूमि के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाए।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-97/2024/1192/001-1192/2024 दिनांक 16.12.2024 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17-(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(17) अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति की बैठक 02.09.2024 के कार्यवृत्त में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(18) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर प्रस्तावित कार्यो की लागत को इन्डीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया हैं। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। अयोध्या विकास प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(19) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(20) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद अयोध्या में प्रस्तावित कार्य को सही स्थल पर, मानक अनुरूप व गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध पूर्ण कराये जाए, कार्य के पूर्व, दौरान व उपरान्त के गूगल मैप फोटो (जियो कोआर्डीनेट्स व दिनांक के अंकन सहित) रक्षित किये जाए व मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा भी नियमित पर्यवेक्षण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(22) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-051-निर्माण-04-अयोध्या का सर्वागीण विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 46/2026/278(1)/ आठ-1-26-**1754851** तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in